में व्यस्त है। अतः इस[illegible] को पेश हो।
पत्रावली आइन्दा 9/2/24 को पेश हो।

२१|०४|२४ पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समन एक द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट तामील की रिपोर्ट पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के एक तरफा बयानात पर बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तामील जारी हो। पत्रावली मिसिल हुक्म होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

करण संख्या : 62/2023

प्रार्थीगण :—
1. चौखाराम पुत्र पेमाराम
2. भभूताराम पुत्र पेमाराम
3. मोहनराम पुत्र पेमाराम
   जाति विश्नोई निवासी गोगाजी का मंदिर छोटू, तहसील नोखड़ा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :—
1. रूघनाथराम वल्द धनाराम
2. धनाराम वल्द हिमताराम
3. पप्पू कुमार वल्द हिमताराम
4. हनुमानराम वल्द हिमताराम
5. कुंभा वल्द माला
6. खींयाराम वल्द राऊराम
7. चुन्नीदेवी पत्नी नन्दराम
8. चुनीदेवी पत्नी राऊराम
9. दूदाराम वल्द माला
10. नानगा वल्द माला
11. पूरों पत्नी माला
12. भूरा वल्द रूगा
13. भेराराम वल्द नन्दराम
14. मूला वल्द माला
15. मोटाराम वल्द नन्दराम
16. रूखमणा वल्द माला
17. रूपोंदेवी पत्नी मंगलाराम
18. शेराराम वल्द राऊराम
19. हीराराम वल्द राऊराम
    जाति जाट निवासी गोगाजी का मंदिर छोटू तहसील नौखडा
20. किशना वल्द जगमाल
21. देऊ पत्नी जगमाल
22. माना वल्द जगमाल
23. हडमान वल्द जगमाल
    कौम विश्नोई साकिन गोगाजी का मंदिर छोटू तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण —एकतरफा**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 09.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा गोगाजी का मंदिर छोटू के खेत खसरा नम्बर 716/307 रकबा 7.4867 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गोगाजी का मंदिर छोटू के खेत खसरा नम्बर 716/307 रकबा 7.4867 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नोखड़ा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नोखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 9/2/25........ को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्र: वाद / 2024 / 98 | दिनांक : 15/2/24

प्रार्थीगण | **बनाम** | **विप्रार्थीगण**

चौखाराम | **रूघनाथराम वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......62 / 2023.. निर्णय दिनांक :– **09.02.2024**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **गोगाजी का मंदिर छोटू** के खेत खसरा नम्बर 716 / 307 रकबा 7.4867 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक, नोखड़ा**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2024 / 99-100 | दिनांक : 15/2/24

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार नोखड़ा
2. थानाधिकारी.......... RGT रावली नाडी नगर
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **नोखड़ा**
4. हल्का पटवारी....**छोटू**.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**चौखाराम पुत्र पेमाराम**
6. विप्रार्थीगण.....**रूघनाथराम वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी